

प्रेस नोट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 14.12.2025

कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष पीपीगंज के नेतृत्व में उ0नि0 अजीत कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 346/2025 धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सत्यवान सिंह पुत्र स्व0 बिन्द्रा सिंह निवासी ग्राम आभूराम थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर हाल पता ओमकार नगर महुआतर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिया गया तथा अवैध व कूटरचित ज्वाइनिंग लेटर देकर धोखाधड़ी की गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सत्यवान सिंह पुत्र स्व0 बिन्द्रा सिंह निवासी ग्राम आभूराम थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर हाल पता ओमकार नगर महुआतर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 346/2025 धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 अजीत कुमार यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 बादल प्रसाद थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
3. का0 अंजनी सिंह यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर